सं. 1-65/2019/प्रशासन (एफटीएस सं. 8020707)

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(वीबीडी अनुभाग)

विषय: राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) में कीट संग्राहक के पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन संबंधी सार्वजनिक सूचना।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा.सं. एबी.14017/16/2008-स्था.(आरआर) के अनुपालन में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) में कीट संग्राहक के पद के भर्ती नियमों की प्रारूप अधिसूचना संलग्न है।

2. प्रारूप भर्ती नियमों पर कोई आपत्ति / टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक हितधारक, प्रारूप भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर अपने सुझाव श्री वैद्यनाथ प्रसाद, अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा नं. 753-ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड,नई दिल्ली–110008 को लिखित रूप में या ई-मेल पते sovbdhfw@gmail.com पर भेज सकते हैं।

(वैद्यनाथ प्रसाद)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन नं: 23061510

नई दिल्ली

[भारत के राजपत्र, भाग 2 खंड3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख.........., 2020

अधिसूचना

सा. का. नि............ - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, दिल्ली (समूह ग पद) भर्ती नियम, 1980 के अधिक्रमण में, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या जिनका करने से लोप किया गया है, एतदद्वारा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय विषाणु जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) में कीट संग्राहक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय विषाणु जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, कीट संग्राहक, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2020 है ।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स या वेतनमान- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति-

(1) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(2) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाती है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह ऐसे किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

पद का नाम	पद संख या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व यक्ति तयों के लिए आयु-सीमा ।	सीधे भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताएं ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कीट संग्राहक	*30(2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मेट्रिक स का स्तर-2, (19900/ - 63200/- रु.	लागू नहीं	18-27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय। टिप प ण: आयु-सीमा निर्धारित करने की तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित की जाएगी। (जहां भर्ती एसएससी के माध्यम से नहीं होगी, आयु सीमा निर्धारित करने की तिथि आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि होगी।	अनिवार्य: (i) विज्ञान विषय से 12वीं पास (ii) सरकारी मान्यता प्राप्त मेडिकल/वायो लिजीकल प्रयोग शाला से एन्टमोलॉजी में 1वर्ष का अनुभव। वांछनीय: कम्पूटर का ज्ञान।

पदोन्नति के मामले में सीधे भर्ती किए जाने वाले व यक्ति तयों के लिए आयु सीमा	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्ति तयों की प्रतिशतता ।	प्रोन नति या प्रतिनियुक्ति त या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन नति या प्रतिनियुक्ति त या आमेलन किया	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श

			जाएगा।		किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती से	लागू नहीं है	समूह 'ग' विभागीय नियमितीकरण समिति (नियमितीकरण के लिए)जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. संयुक्त निदेशक या उप निदेशक,एनवीबीडीसीपी निदेशालय - अध्यक्ष 2. उप निदेशक, निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं/दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित कोई अन्य संस्थान -सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय विषाणु जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम निदेशालय -सदस्य	आवश्यक नहीं है

सं. ए.1-65/2019/प्रशासन

(बैद्यनाथ प्रसाद)
अवर सचिव, भारत सरकार